

दिनांक:—09.09.2019

वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं मूलवाद निरस्त किया जा चुका है 3 बार आवाज लगायी गयी। बार—बार आवाज लगाने पर भी वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 01.06.2018 को पारित अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

